SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 THE CRIMINAL PROCEDUR CODE, 1898 In the court of प्राची जे एम एफ.सी गोहद भिण्ड गोहद जिला मिण्ड (म.प्र.) /2017 Name and address of the complain म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना..... प्रशासन भिण्ड म०प्र० name, parentage, caste and address of accused के सरका अवटी दूरिक के जाना के के निरं रेश हमार्स्टर विस् क्या ीय विद्यात १९० निया है। कि के इंड १९ के उर्वे का @ सामक ही साम कर देखा कार्यास पर कार का कराय कि The offence complained of, and date of its alleged commission COS NOTICE GED ......में ताश के पत्तों से रूपयों पैसों की हारजीत का दांव लगाकर जुआ खेला। तुम्हारा उपरोक्त कृत्य धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध किया। स्पष्ट करों अपराध स्वीकार है या विचारण चाहते हों। न्यायिक मिल्लिट प्रथम श्रेणी The plea of the accused and bis examination [if any]--गाहव, जिला-भिण्ड (म.प्र.) आरोपी का अभिवाक-प्रथम श्रेणी न्यायिक गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.) The offence proved, if any in, case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of section 260, the value of

theproperty in respect of whitch the offence has been committed

## //निर्णय//

## (आज दिनांक 17-8-17 को घोषित किया गया)

- 1. अभियुक्त/अभियुक्तगण को धारा 13 सार्वजनिक द्यूत कीडा अधिनियम के तहत अपराध विवरण समरी शीट पर तैयार कर पढकर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त/अभियुक्तगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- 2. अभियुक्त / अभियुक्तगण द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति, बिना किसी डर, दवाब व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार उसे / उन्हें उक्त धरा 13 सार्वजनिक धूत कीडा अधिनियम के अपराध का दोषी ठहराया जाता है एवं अभियुक्त / अभियुक्त गण को धारा 13 सार्वजनिक धूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत रूपये े के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।

3. अर्थदंड अदा नहीं करने पर प्रत्येक को १५-१५ दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

स्थान-भिण्ड

दिनांक- ४७-८-८७

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

GMOSIT

पक्षण शासा न्यायिक सजिल्हेट प्रथम श्रेणी गोंहद, जिला–मिण्ड (म.प्र.) पंकर्प श्री (१ (८८)) bas be न्यायिक सिन्त्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)